संख्या-64 /2026//001-749-23-12-2026-1951353

प्रेषक,

शेषनाथ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत जनपद खीरी में स्वीकृत 01 चालू कार्य पर धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-22429/सीई-एचक्यू1/सीआरएफ/एलकेओ/2026-27, दिनांक 08.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत अग्रतालिका में अंकित 01 चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 365.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पैंसठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रा.ख./ खीरी	155/2025/001-1161-23-12-2025-1951353 -दिनांक-16-12-2025	जनपद-लखीमपुर खीरी में लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग (प्र0जि0मा0-86) चैनेज 0.000 से 20.000 तक 02 लेन विथ पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य 242396	8994.81	2892.00	**365.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(7) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,65,00,000 (रूपये तीन करोड़ पैंसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054048000421 सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों के लिए व्यवस्था (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-64/2026//001-749(1)-23-12-2026-1951353 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल,नवीन भवन सचिवालय,उत्तर प्रदेश शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शेषनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in